

भारत सरकार  
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. †\*112  
उत्तर देने की तारीख 11.02.2019

**जनजातियों का कल्याण**

†\*112. श्री कोनाकल्ला नारायण राव:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में जनजातियों के कल्याण के लिए 6000 करोड़ रुपये का भारी बजटीय आवंटन करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए राज्य में किन्हीं जनजातीय क्षेत्रों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) प्रत्येक राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए कितनी धन राशि आवंटित की जा रही है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य मंत्री  
(श्री जुएल ओराम)

- (क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11.02.2019 को “जनजातियों का कल्याण” के संबंध में श्री कोनाकल्ला नारायण राव द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*112 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) तथा (ख) वर्ष 2018-19 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **अनुलग्नक-I** में दिए गये ब्यौरों के अनुसार देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत 6000/- करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

(ग) भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में विभिन्न प्रावधान निहित किए गये हैं। आंध्र प्रदेश राज्य (तेलंगाना सहित) में घोषित अनुसूचित क्षेत्रों की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गयी है। इसके अलावा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन और सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक उपायों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) की शुरुआत की। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10,000 की कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की 50 प्रतिशत अथवा अधिक सघनता वाले छोटे क्षेत्रों को कवर करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) अपनाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद न्यूनतम कुल लगभग 5,000 की आबादी की सघनता वाले जनजातीय और 50 प्रतिशत अथवा अधिक अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सघनता वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए क्लस्टर चिह्नित किए गये थे। आंध्र प्रदेश में क्रमशः 5 आईटीडीपी/आईटीडीए, 41 माडा पॉकेट्स तथा 17 क्लस्टर घोषित/चिह्नित किए गये हैं।

(घ) अधिकतर स्कीमों/कार्यकलाप मांग आधारित हैं। चालू स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत अनुदान मांगने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति एक नियमित प्रक्रिया है। स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत अनुबद्ध दिशानिर्देशों/मानदंड के अनुरूप राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव राज्य की वार्षिक योजना के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष रखे जाते हैं। इस मंत्रालय की स्कीमों के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे **अनुलग्नक-III** में दिए गये हैं।

दिनांक 11.02.2019 को "जनजातियों का कल्याण" के संबंध में श्री कोनाकल्ला नारायण राव द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*112 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2018-19 के दौरान निधियों के स्कीम-वार आवंटन के ब्यौरे अर्थात् मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय

(करोड़ रु में)

क्रम. स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	व्यय 2018-19 (31.01.2019 तक)
1.	जनजातीय उप स्कीम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	1350.00	1350.00	1121.36
2.	(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान का प्रावधान	1800.00	1820.00	1612.92
3.	(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड ए के तहत असम सरकार को अनुदान।	0.01	0.00	0.00
4.	<b>केंद्रीय छात्रवृत्ति:</b>			
	(i) अजजा की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	100.00	100.00	70.89
	(ii) विदेश में अध्ययन के लिए अजजा के छात्रों को छात्रवृत्ति।	2.00	2.00	1.83
5.	<b>जनजातीय संस्थानों को सहायता:</b>			
	राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	65.00	65.00	65.00
	(ii) जनजातीय उत्पाद / उपज के विपणन के लिए संस्थागत समर्थन -	45.00	62.50	43.30
	(i) ट्राईफेड			
	(ii) एसटीडीसी	9.15	10.00	9.15
	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान।	130.00	120.00	91.98
6.	<b>अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम:</b>			
	(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	350.00	310.00	301.96
	(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1586.00	1643.03	1628.63
7.	<b>अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: वन बंधु कल्याण योजना:</b>			
	(i) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	260.00	250.00	220.23
	(ii) लघु वन उत्पाद(एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	40.00	31.47	31.47
	(i) ट्राईफेड			
	(ii) राज्य	90.00	66.00	64.14
	(iii) जनजातीय उत्सव अनुसंधान और जन शिक्षा - (क) प्रचार	3.00	3.00	0.51
	(ख) अनुसंधान	2.00	4.50	1.64
	(ग) उत्सव	20.00	17.50	12.76
	(iv) निगरानी और मूल्यांकन	5.00	2.50	2.14
	(v) जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00	0.00
	(vi) वन बंधु कल्याण योजना	0.01	0.00	0.00
8.	<b>अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम - जनजातीय संस्थानों को सहायता:</b>			
	(i) जनजातीय अनुसंधान संस्थान को समर्थन	99.99	100.00	86.60
	(ii) जनजातीय स्मारक			
9.	<b>गैर-योजना:</b>			
	(i) सचिवालय	27.76	27.76	23.23
	(ii) एनसीएसटी	15.06	14.74	10.21
	<b>कुल योग</b>	<b>6000.00</b>	<b>6000.00</b>	<b>5399.95</b>

दिनांक 11.02.2019 को "जनजातियों का कल्याण" के संबंध में श्री कोनाकल्ला नारायण राव द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*112 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(तेलंगाना सहित) आंध्र प्रदेश राज्य में घोषित अनुसूचित क्षेत्र की सूची

**1. महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गाँव निम्नानुसार हैं:**

1. बलमोर	27. अप्पापुर	53. जंगमरेड्डीपल्ली
2. कोंडनागोल	28. मालापुर	54. पेड़ा
3. बनाल	29. जलालपेटा	55. वेंकटेश्वरम्
4. बिलकस	30. पिमनपेटा	56. चितलामकुंटा
5. धर्माराम	31. रेल	57. लछमपुर
6. अप्पाली	32. वेतोलापल्ली	58. उमडेला
7. रसूल चर्चु	33. पाटुरबयाल	59. मारा गया
8. पुल्लचल्मा	34. भवपांता	60. इप्पलपल्ली
9. मरलापय	35. नारदीपेटा	61. मदिदमाग
10. बुर्ज गुंडल	36. तापसीपेन्टा	62. अकरम
11. अग्रलापेटा	37. चन्द्रगुप्त	63. ऐनोल
12. पुलईपल्ली	38. उलूकत्रेवु	64. सिद्धपुर
13. डुकनपेटा	39. टिमरमेददीपल्ली	65. बामनपल्ली
14. बिकिटपेन्टा	40. सरलापल्ली	66. गणपुरा
15. ककरपंता	41. तात्यागुंडल	67. मनेवरपल्ली
16. बोरमचेरनवु	42. एल्पामेहेना	
17. यमलपाय	43. कोमनपेटा	
18. इलापेटा	44. कोल्लमपेटा	
19. मुदादीपेटा	45. मननूर	
20. टाकलडारी	46. माचरम	
21. वकराममिधिपांता	47. मलहमदी	
22. मेदिमंकल	48. वेंकटेश्वरलाभवी	
23. पांडिबोर	49. अमरावद	
24. संग्रीगुंडल	50. तिमलपुर	
25. लिंगबोर	51. उपनुतोला	
26. रामपुर	52. माधवनपल्ली	

**2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गाँव निम्नानुसार हैं:**

(1) मलाई बोरगाँवा,	(25) कपर दानी,	(49) बोरगाँव,
(2) अंकापुर,	(26) रत्नापुर,	(50) सैयदपुर,
(3) जामुल धारी,	(27) कोसई,	(51) खारा,
(4) लोकारी,	(28) उमरी,	(52) लोहारा,
(5) वेंकट,	(29) मदनपुर,	(53) मैरिगाँव,
(6) टेंटोली,	(30) अंबुगन,	(54) चिचड़ी,
(7) सीतागाँडी,	(31) रुयदे,	(55) खानपुर,
(8) बर्नूर,	(32) सकनापुर,	(56) कांधला,
(9) नवगाँव,	(33) दैगाँव,	(57) टीपा,
(10) पीपल दारी,	(34) कासलापुर,	(58) हाटीघौटा,
(11) पारदी बुजुर्ग,	(35) डोरली,	(59) करोंदकुर्द,
(12) यापालगुडा,	(36) सहिज,	(60) करोनी बुजुर्ग,
(13) चिंचुघाट,	(37) सांगवे,	(61) सिंगापुर,
(14) वांकोली,	(38) खोगोर,	(62) बुरहानपुर,
(15) कनपा,	(39) कोबाई,	(63) नागरला,
(16) अवसोदाबुर्की,	(40) पोनाला,	(64) बोडाद,
(17) मलकापुर,	(41) चपराला,	(65) चंदपेली,
(18) जग्री,	(42) मांगरोल,	(66) पीटगैन,
(19) पलसी बुजुर्ग,	(43) कोपाअर्गुन,	(67) येकोरी,
(20) अरली खुर्द,	(44) सौख,	(68) सदरपुर,
(21) नंदगाँव,	(45) खिडकी,	(69) वास्तर,
(22) वाघपुर,	(46) खसकलकर,	(70) रोहर,
(23) पलसिकुर,	(47) खसलाबुजुर्ग,	(71) तकली
(24) लिंगी,	(48) जामनी,	(72) रामखाम,

3. आदिलाबाद जिले के किन्वत तालुका के 72 गाँव निम्नानुसार हैं:

1. अंबारी,	25. करला,	49. पाटोदा,
2. बोदरी,	26. कोठारी,	50. जरवल,
3. चिकली,	27. गोकुन्दा,	51. पिपलगाँव,
4. कमतला,	28. गोगारुड़ी,	52. कांकीसिंगोरा,
5. घोटी,	29. मलकापुर,	53. डोंगरगोअन,
6. मांडवा,	30. धनोरा,	54. पिपलसेँधा,
7. मारेगाँव,	31. रामपुर,	55. जरूर,
8. मालबोगौन,	32. पित्तु,	56. मिंकी,
9. पाटोदा,	33. पोरोधी,	57. तुलसी,
10. दहीगाँव,	34. बोथ,	58. माचौडरपारधी,
11. डोमनधरी,	35. दर्सीगी,	59. मुरली,
12. दरसंगी,	36. नोरगाँव,	60. तकरी,
13. दिगारी,	37. उंसी,	61. परसा,
14. सिंद्री,	38. गोडी,	62. वारसा,
15. कनकवारी,	39. सौहरखेर,	63. उमरा,
16. कोपरा,	40. नाइकवाडी,	64. अष्ट,
17. मलकवाडी,	41. सरकानी,	65. हिंणी,
18. निसपुर,	42. वझेरा,	66. तिमापुर,
19. येन्दा,	43. मर्दप,	67. वज्र,
20. पिपलगाँव,	44. अंजनेखर,	68. वानोला,
21. बुलजा,	45. गोंडवरसा,	69. पटोदा,
22. वारोली,	46. पालीगुडा,	70. धनोरा,
23. अंजी,	47. करलगाँव,	71. सकुर,
24. भीमपुरसिरमेट्टी,	48. पलसी,	72. दिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गाँव नीचे बताए गए हैं

(1) हतनूर,	(17) कोरसेकल,	(33) गर्जाम,
(2) वक्री,	(18) सिरहेल्मा,	(34) चिंचोली
(3) पारधी,	(19) पाटनपुर,	(35) मनकापुर,
(4) कर्तानंद,	(20) तेजपुर,	(36) नरसापुर,
(5) सेरलापल्ल,	(21) गुरुज,	(37) धर्मपुर,
(6) नेरदीकोंडा,	(22) खदीगुडा,	(38) हरकपुर,
(7) डालीगाँव,	(23) राजुरवाडी,	(39) धामपुर,
(8) कुंतला,	(24) इसपुर,	(40) निम्नी,
(9) वैकटपुर,	(25) घनपुर,	(41) अजहर
(10) हसनपुर,	(26) जटरला,	(42) वजहर,
(11) सूरदापुर,	(27) खान्टेगाँव,	(43) चिन्तलरी,
(12) पोलमवा,	(28) सौरी,	(44) चिंताकार्व,
(13) बलहनपुर,	(29) इकोरा,	(45) रामपुर,
(14) धरमपुरी,	(30) मटनूर,	(45) गंगापुर
(15) गोकंडा,	(31) गुडीहटनूर,	(46) गायतपल्ली
(16) भोटई,	(32) तालमेडी,	

5. आदिलाबाद जिले के उंटुरुतलुक के सभी गाँव।

6. आदिलाबाद जिले के आसिफाबाद तालुका के 86 गाँव जैसा कि नीचे बताया गया है

(1) राजम्पेट,	(31) केर्नेरी,	(62) कंदन मोर,
(2) गुंजला,	(32) मर्किलोंके,	(63) जियोना,
(3) इंदानी,	(33) देवपुर,	(64) कुटेड़ा,
(4) समीला,	(34) चिन्ता करी,	(65) तिलानी,
(5) तेजपुर,	(35) इहरी,	(66) कानपेली,
(6) कन्नारगाँव,	(36) आरा,	(67) बोर्डमतेलुंडी,
(7) कांटगुडा,	(37) दसनापुर,	(68) मौगीलोदीगुडा,
(8) शंकपल्ली,	(38) कापरी,	(69) मूंडा-गुडीपेट,
(9) जामुलधारी,	(39) बेलगाँव,	(70) चिनदरी,
(10) गुडी,	(40) सिरसगाँव,	(71) कोइतलुंडी,
(11) चोरपल्ली,	(41) मूर,	(72) मदुरा,
(12) सेलगुडा,	(42) वदम,	(73) देविगुडा,
(13) वादिगुडा,	(43) धमीगरुडा,	(74) आरगुडा,
(14) सवती,	(44) दल्लनपुर,	(75) गार्दपल्ली,
(15) ढाबा,	(45) चलवर्दी,	(76) टेकपल्ली,
(16) चोपंगुडा,	(46) इहोरघाट,	(77) चौटेपल्ली,
(17) निमगाँव,	(47) बलिहारी,	(78) राणेकन्नापल्ली,
(18) खिरदी,	(48) सकामगुंडी,	(79) सुंगापुर,
(19) मेटाप्री,	(49) आरा,	(80) रालासंकपल्ली,
(20) सकरा,	(50) उप्पलनौगाँव,	(81) चोपरी,
(21) संगी,	(51) अंकोरपुर,	(82) डोडाअर्जुनी,
(22) देवुरपल्ली,	(52) चिरकुटा,	(83) सेरवई,
(23) खोतारा-रिंगघाट,	(53) इलिपिताडोरली,	(84) रापल्ली,
(24) निशानी,	(54) मंड्रेमेरा,	(85) तेकमांडवा
(25) कोटा परंडोली,	(55) दंतनपल्ली,	(86) मेता अर्जुनई
(26) मेसापुर,	(56) देवदुर्ग,	
(27) गोइगाँव,	(57) तुनपल्ली,	
(28) धनोरा,	(58) धगलेश्वर,	
(29) क्षमा,	(59) पदिबंद,	
(30) सूरदापुर,,	(60) ताम्रिन,	
	(61) मलंगुंडी,	

7. आदिलाबाद जिले के लछेतिपेत तालुका के 18 गवनिम्नानुसारहै:-

(1) गुडम,	(9) कोवल,	(17) चिंतागुडा
(2) कासिपेट,	(10) तारपेट,	(18) मुटिपल्ली
(3) दण्डेपल्ली,	(11) देवपुर,	
(4) चेलम्पेटा,	(12) गाथापल्ली,	
(5) राजम्पेट,	(13) रोटपल्ली,	
(6) मुट्टीमेट,	(14) मंडमारी,	
(7) वेंकटपुर,	(15) धर्मरोपित,	
(8) रली,	(16) वेंकटपुर,	

8. आदिलाबाद जिले के राजुरातालुक के 58 गाँव।

(1) बेंदवी,	(20) खोरपना,	(39) परसेवा,
(2) चिंचोली,	(21) कानारगाँव,	(40) मंगलग्रह,
(3) गोइगाँव,	(22) चेनई,	(41) कार्की,
(4) हीरापुर,	(23) कैरगाँव,	(42) नोकरी,
(5) सकरी,	(24) समालहिरा,	(43) मनोली,
(6) बालापुर,	(25) धनोल्टी,	(44) सोनपुर,
(7) मानोली,	(26) मारनागाँदी,	(45) इनापुर,
(8) अंटगाँव,	(27) येलापुर,	(46) मंगी,
(9) वीरर,	(28) कतलबोरी,	(47) उपरवाई,
(10) डोंगरगाँव,	(29) इसापुर,	(48) टुट्टा,
(11) टिम्बर्वे,	(30) देवती,	(49) लकमपुर,
(12) सेरसी,	(31) पंडवानी,	(50) कीर्ति,
(13) बडोरा,	(32) वंसारी,	(51) इंजापुर,

(14) वर्मजेरी, (15) लारकोट, (16) एरगाँव, (17) कीर्ति, (18) सोंडो, (19) देवारा,	(33) पेड़ा, (34) वारगाँव, (35) नोकारी (36) मीरापुर, (37) पारधी, (38) कुटोदा,	(52) जामनी, (53) हरगाँव, (54) चिकली, (55) पाटन, (56) कोसुंडी, (57) कोटारा (58) सोनोरली
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**9. आदिलाबाद जिले के सिरपुरतालुक के 27 गाँव**

(1) रालपेट, (2) किस्टम्पेट, (3) टकलापल्ली, (4) चकलपल्ली, (5) अनाराम, (6) भेटपल्ली, (7) कोसेनीइसगाँव, (8) चिंतागुड़ा, (9) अंकोरा, (10) उसुरामपल्ली, (11) अरपल्ली, (12) बोफालपटनम,	(13) बालासगा, (14) पारधी, (15) तुमरीहाटी, (16) चिंतामलमनोपल्ली, (17) चिंताम, (18) गुल्लातलोदी, (19) दमडा, (20) धोरपल्ली, (21) कांकीगरलापेट, (22) गुडलाबोरी, (23) गुरमीत, (24) लोमवेली,	(25) मोगुरनगर, (26) विरदन्दी (27) चिलपुरदुबोर
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**10. वारंगल जिले के मुलुगतालुक के 85 गाँव**

(1) कन्नौगुड़ा, (2) अंकनगुड़ा, (3) राघवपुरम, (4) मेमारीला, (5) कोइतला, (6) परस नगराम, (7) मुथापुर, (8) मोटालगुड़ा, (9) वेंगलापुर, (10) येल्लक, (11) केनबोनेपल्ली, (12) मेदराम, (13) कोंड्रेड, (14) चिंतागुड़ा, (15) कोंडापर्थी, (16) येल्लेपिल्ली, (17) अल्लवरमिरधुनपुर, (18) रामपुर, (19) मलकापल्ली, (20) चेटियल, (21) भूपतिपुर, (22) गंगाराम, (23) कन्नौगुड़ा, (24) राजनपेट, (25) भूटाराम, (26) अक्केला, (27) सिरवापुर, (28) गंगाराम (29) भूपतिपुर, (30) पुंबापुर, (31) रामपुर, (32) अंकमपल्ली, (33) कामाराम,	(34) कम्मटीगुडम, (35) अश्रागुड़ा, (36) येलापुर, (37) अल्लागुड़ा, (38) नरसापुर, (39) पुंछपुर, (40) भट्टपल्ली, (41) लवनल, (42) बड्डुगुड़ा, (43) कोथुर, (44) पेगडापल्ली, (45) सावापुर (46) भूसापुर, (47) चेलवई, (48) रंगपुर (49) गोविंदोपेट, (50) बल्लापल्ली, (51) डम्पलगुड़ा, (52) केरलपल्ली, (53) लखनावरम, (54) पसरा, (55) गोनपल्ली, (56) पडगपुर, (57) नरलापुर, (58) कल्पवल्ली, (59) उर्तम, (60) कोंडिया, (61) मलियात, (62) अकलापुर (63) डोडला, (64) कामाराम, (65) तडवई, (66) बूदिगुड़ा (67) बन्नाजी,	(68) बंदाम, (69) सेलपाक, (70) कांटालपल्ली, (71) सरवई, (72) गंगागुड़ा, (73) तुपकलालगुड़ा, (74) अकुलवारी, (75) घनपुर, (76) शाहपल्ली, (77) गगपेली, (78) चिन्नाबीपनपल्ली, (79) वेंकटपुर, (80) नरसापुर, (81) अनवारम, (82) लिंगल, (83) बालपल्ली, (84) बंदल (85) थुनामपुर
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. वारांगल जिले के नरसम्पेततालुक के 72 गांव।

(1) वेबेली,	(31) मकदापल्ली,	(55) कांगरगिदा,
(2) पोलारा,	(32) पगुलपल्ली,	(56) मेडगुडेम,
(3) बक्काचिन्तपाद,	(33) मुरारीगुडेम,	(57) दलुरपेट,
(4) गंजड,	(34) येलाचगुडेम,	(58) कोठागुडेम,
(5) तिर्मलगुडा,	(35) तुमपुरम,	(59) कोटपल्ली,
(6) गोपालपुर,	(36) जंगमवर्तिगुडेम,	(60) दुर्गाराम,
(7) खित्तपुर,	(37) रंगगुडेम,	(61) डबगुडम,
(8) ततीनारीवेनपल्ली,	(38) पेदलपल्ली,	(62) रुद्रवरम,
(9) पट्टल भूपति,	(39) येवराम,	(63) नरसुगुडम,
(10) चंदेलपुर,	(40) कुंडापल्ली,	(64) कोमतालगुडम,
(11) बटालपल्ली,	(41) नीलमपल्ली,	(65) कतवर्म,
(12) आदरपेट,	(42) दरवानरनमपल्ली,	(66) सेमरराजपेट,
(13) सत्यनगर,	(43) कार्नेगुंड,	(67) मोरेपल्ली,
(14) दुतला,	(44) महादेवगुडेम,	(68) गोहर,
(15) मोठवाड़ा,	(45) मारीगुडेम,	(69) राधापुर,
(16) मंगलावरपेट,	(46) जंगलपल्ली,	(70) गजलगुडेम,
(17) करलाई,	(47) बावरगुडा,	(71) राजवपल्ली
(18) अर्कलकुन्ता,	(48) ओरबक,	(72) बोलपल्ली
(19) कोडसपेट,	(49) गंगाराम,	
(20) गौंडरपल्ली,	(50) मुचेरला,	
(21) मसामी,	(51) अमरंचा,	
(22) बटवार्तिगुडम,	(52) कमाराम,	
(23) ममीदीगुडम,	(53) चिंतागुडम,	
(24) पैगोंडा,	(54) नीलांच,	
(25) रोटुगई,		
(26) सतरेड्डीपल्ली,		
(२7) कोनपुर,		
(२8) कौंडापुरम,		
(29) पोगुलपल्ली,		
(30) गोविंदपुरम,,		

12. वारांगत जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिंगारेनी और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)

13. (i) वारांगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव (पलोधा, बेरगामपद, अश्वराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलेन्छा का समस्थान)

14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र (एजेन्सी लक्ष्मीपुरम, छिद्दीकाडा, केनकासिंगी, कुमारापुरम, कृष्णाद्वीपेता, पिछी गान्धिकेथागुडेम, गोलूण्डापेटा, गुनुपुडी, मुन्नुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरूपलि, पेदाजागामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर) 2 (विश्वविद्यालय जिले के सारामूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रराजुपेटा, अग्रहारम और कौंडावातिपुजड़ी अग्रहारम)

15. पूर्वी गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र 2( रामचन्द्रपुर गांव में शामिल क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरुषोथपट्टनम कस्बे सहित)

16. पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

\* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं. 9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं. 30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ. सं. 50)

<sup>1</sup> मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल



दिनांक 11.02.2019 को “जनजातियों का कल्याण ” के संबंध में श्री कोनाकल्ला नारायण राव द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*112 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(i) वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 के दौरान अजजा के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के लिए निर्मुक्त निधि के ब्यौरे ।			
(लाख रूप में)			
क्रम. स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19 (06.02.19 तक)
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	5282.94	1210.81
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	
3	असम	0.00	
4	बिहार	0.00	
5	छत्तीसगढ़	1805.30	4755.63
6	दादरा और नगर हवेली	0.00	20.00
7	दमन और दीव	8.04	
8	गोवा	3.75	80.83
9	गुजरात	3650.84	4482.31
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	38.91
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	
12	झारखंड	1704.53	2345.92
13	कर्नाटक	1364.59	1256.31
14	केरल	0.00	308.73
15	मध्य प्रदेश	5539.17	5728.33
16	महाराष्ट्र	0.00	
17	मणिपुर	619.09	
18	मेघालय	156.69	
19	मिजोरम	132.25	319.79
20	नागालैंड	0.00	
21	ओडिशा	5134.98	6665.88
22	राजस्थान	3284.79	1716.12
23	सिक्किम	25.72	7.97
24	तमिलनाडु	0.00	
25	तेलंगाना	358.02	693.84
26	त्रिपुरा	232.89	
27	उत्तर प्रदेश	0.00	
28	उत्तराखंड	104.44	
29	पश्चिम बंगाल	0.00	584.62
	कुल	29408.03	30216.00

(ii) वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 के दौरान अजजा के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के लिए निर्मुक्त निधि के ब्यौरे

(लाख रू में)

क्रम. स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19
		निर्मुक्त निधि	(06.02.19 तक) निर्मुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	8269.11	13945.02
2	अरुणाचल प्रदेश	5803.65	1883.82
3	असम	2516.48	3248.03
4	बिहार	71.25	
5	छत्तीसगढ़	3811.26	4609.57
6	दमन और दीव	26.19	
7	गोवा	364.80	536.26
8	गुजरात	14609.74	32414.09
9	हिमाचल प्रदेश	3123.36	278.15
10	जम्मू और कश्मीर	2322.56	
11	झारखंड	2716.50	5281.32
12	कर्नाटक	8873.31	7341.33
13	केरल	2745.46	2674.37
14	मध्य प्रदेश	10320.50	13405.24
15	महाराष्ट्र	10884.91	15238.15
16	मणिपुर	6382.55	2026.76
17	मेघालय	770.50	2457.52
18	मिजोरम	2434.73	3528.21
19	नागालैण्ड	2515.00	4716.66
20	ओडिशा	8784.18	14801.92
21	राजस्थान	19912.49	13598.95
22	सिक्किम	1247.32	1134.36
23	तमिलनाडु	2440.39	3933.65
24	तेलंगाना	18031.25	9921.68
25	त्रिपुरा	2756.25	3626.55
26	उत्तर प्रदेश	1244.91	
27	उत्तराखंड	600.25	
28	पश्चिम बंगाल	2807.89	2219.39
	<b>कुल</b>	<b>146386.79</b>	<b>162821.00</b>

**(iii) 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) की योजना के तहत निर्मुक्त, उपयोग की गई निधियों और इसके लाभार्थियों के ब्यौरे**

(लाख रू में)	
2017-18	2018-19 (30.01.2019 तक)
निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
100.00	183.07

**(iv) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे (उच्च स्तरीय शिक्षा)**

ब्यौरे	2017-18	2018-19
लाभार्थी	2078	2371
वितरित (लाख रू में)	9834.00	5684.00

**(v) वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 (30.01.2019 तक) के दौरान जनजातीय उप स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण**

क्रम.सं.	राज्य	2017-18	2018-19
		निर्मुक्त	निर्मुक्त
1	आंध्र प्रदेश	3624.77	3259.39
2	असम	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	14327.57	10342.65
5	गोवा	559.09	352.31
6	गुजरात	10270.41	8333.52
7	हिमाचल प्रदेश	2291.20	3628.00
8	जम्मू और कश्मीर	3626.50	3749.80
9	झारखंड	11372.49	8564.52
10	कर्नाटक	5955.37	3274.53
11	केरल	808.43	335.00
12	मध्य प्रदेश	22828.70	16968.97
13	महाराष्ट्र	13760.38	11502.17
14	मणिपुर	3790.38	2606.48
15	मेघालय	0.00	1946.41
16	मिजोरम	0.00	1220.00
17	नागालैण्ड	0.00	1655.00
18	ओडिशा	11975.00	12553.22
19	राजस्थान	10051.83	10327.93
20	सिक्किम	5986.00	0.00
21	तमिलनाडु	894.10	315.00
22	तेलंगाना	4493.55	2850.32
23	त्रिपुरा	1649.77	1294.38
24	उत्तराखंड	679.00	352.20
25	उत्तर प्रदेश	458.35	0.00
26	पश्चिम बंगाल	5397.11	3948.15
	<b>कुल</b>	<b>134800.00</b>	<b>109379.94</b>

(vi) वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 (30.01.2019 तक) के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19
		निर्मुक्त	निर्मुक्त
1	आंध्र प्रदेश	2076.00	1837.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	200.00	0.00
3	बिहार	295.91	0.00
4	छत्तीसगढ़	1089.50	1051.50
5	गुजरात	390.67	422.88
6	झारखंड	2043.75	2646.00
7	कर्नाटक	467.00	460.00
8	केरल	62.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	8232.46	7998.09
10	महाराष्ट्र	1226.25	1230.26
11	मणिपुर	195.00	311.00
12	ओडिशा	1297.00	3341.31
13	राजस्थान	1038.00	1008.00
14	तमिलनाडु	1770.75	0.00
15	तेलंगाना	778.00	533.00
16	त्रिपुरा	2305.00	0.00
17	पश्चिम बंगाल	330.76	843.42
18	उत्तराखंड	130.00	565.86
19	उत्तर प्रदेश	17.96	0.00
	कुल	23946.01	22248.32

**(vii) वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 (30.01.2019 तक) के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान की योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण**

(लाख रू में)

क्रम. सं.	राज्य	2017-18	2018-19
		कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	4591.11	6118.77
2	अरुणाचल प्रदेश	8378.82	7903.80
3	असम	0.00	3780.32
4	बिहार	991.89	0.00
5	छत्तीसगढ़	10964.49	10944.92
6	गोवा	103.00	345.66
7	गुजरात	11384.08	11240.20
8	हिमाचल प्रदेश	2074.70	3242.16
9	जम्मू और कश्मीर	3049.06	2051.79
10	झारखंड	12386.93	7082.30
11	कर्नाटक	5881.74	863.38
12	केरल	803.17	472.28
13	मध्य प्रदेश	22399.48	24227.30
14	महाराष्ट्र	13862.24	13905.62
15	मणिपुर	2308.80	5095.65
16	मेघालय	3603.40	3633.79
17	मिजोरम	2504.41	2972.71
18	नागालैण्ड	4434.11	8378.49
19	ओडिशा	15995.30	20077.15
20	राजस्थान	10240.58	13497.23
21	सिक्किम	405.30	355.34
22	तमिलनाडु	378.00	510.57
23	तेलंगाना	5015.32	2976.89
24	त्रिपुरा	2040.99	1734.73
25	उत्तर प्रदेश	189.00	252.00
26	उत्तराखंड	1577.56	1255.27
27	पश्चिम बंगाल	5376.51	9235.73
	<b>कुल</b>	<b>150939.99</b>	<b>162154.05</b>

(viii) वर्ष 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कलायण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त निधि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	पते सहित स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों का नाम	परियोजना	2017-18	2018-19 (31.12.2018 तक)
1	आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेंसरी, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल,	176.73	15.65
2	अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेंसरियां, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ओल्ड एज होम, 20-बिस्तरों वाला अस्पताल, ए.वी. यूनिट, हॉस्टल, 60- बिस्तरों वाला हॉस्पिटल	605.24	182.88
3	असम	मोबाइल डिस्पेंसरी, आवासीय विद्यालय, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, छात्रावास, पुस्तकालय, गैर-आवासीय विद्यालय।	170.77	41.01
4	छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय, 3 स्वास्थ्य पोस्ट और 1 फेयर शॉप, 6-हॉस्टल, 1-आदिवासी युवा प्रशिक्षण केंद्र और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग + दिव्यांग कृषि की नई परियोजनाएँ और संबद्ध विषय	75.36	110.33
5	गुजरात	मोबाइल डिस्पेंसरी, गैर आवासीय विद्यालय, हॉस्टल, 40-बिस्तरों वाला अस्पताल।	73.15	131.66
6	हिमाचल प्रदेश	छात्रावास, आवासीय विद्यालय,	251.10	213.75
7	जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	19.69	0
8	झारखंड	आवासीय विद्यालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, गैर-आवासीय विद्यालय, बैट और बाँस की ट्रे, बुनाई, बुनाई और हथकरघा केंद्र, 20-बिस्तरों वाले अस्पताल, मोबाइल लाइब्रेरी सह एवी यूनिट, 70-बिस्तरों वाले अस्पताल, दिव्यांग यूनिट, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि प्रशिक्षण केंद्र	966.29	1099.23
9	कर्नाटक	10 बिस्तरों वाले अस्पताल, आवासीय विद्यालय, गैर आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेंसरियां	244.94	248.11
10	केरल	हॉस्टल, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल, 20-बिस्तरों वाला अस्पताल, आवासीय स्कूल	66.56	65.25
11	मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	119.21	222.77
12	महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल,	377.48	242.68
13	मणिपुर	छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गैर आवासीय विद्यालय, टंकण और आशुलिपि केंद्र, मोबाइल डिस्पेंसरियां	264.29	99.29
14	मेघालय	छात्रावास, मोबाइल डिस्पेंसरियां, पुस्तकालय, 62 एलपी / एमई / सेक-नॉन रेजिडेंशियल शूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, गैर-आवासीय स्कूल, एम। ए.वी. यूनिट, बुनाई बुनाई	697.71	786.14
15	मिजोरम	आवासीय विद्यालय, मोबाइल औषधालय,	55.89	20.07
16	नागालैण्ड	हॉस्टल	30.80	12.78
17	दिल्ली	कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास	17.15	5.41
18	ओडिशा	आवासीय विद्यालय, छात्रावास, क्रेच केंद्र, टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि और संबद्ध विषय	1168.97	2104.98
19	राजस्थान	एण्डएन, आवासीय स्कूलों सहित एनई एसटी लड़कियों के लिए वृत्ति योजना	14.50	38.09
20	सिक्किम	आवासीय विद्यालय	90.81	39.07
21	तमिलनाडु	हॉस्टल, आवासीय विद्यालय, 20-बिस्तरों वाला अस्पताल, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल, 60-बिस्तरों वाला अस्पताल, मोबाइल डिस्पेंसरियां	280.49	220.61
22	तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	76.76	33.62
21	त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	32.62	57.72
22	उत्तर प्रदेश	छात्रावास (4 इकाइयां) और आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेंसरी	67.43	0
23	उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेंसरी, 2 छात्रावास (जूनियर + प्राथमिक), छात्रावास	37.43	66.81
24	पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेंसरियां, अस्पताल, बुनाई / हथकरघा	937.44	536.43
			<b>6918.81</b>	<b>6594.34</b>

(ix) वर्ष 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018-19 के दौरान कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढीकरण की योजना के तहत नर्मुक्त निधि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पते सहित स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों का नाम	2017-18	2018-19 (31.12.2018 तक)
1	आंध्र प्रदेश (एपीटीडब्ल्यूएआरईआईएस द्वारा संचालित शैक्षणिक परिसरों की 14 इकाई) और अन्य एजुकेटिनल कॉम्प्लेक्स)	1117.23	0
2.	अरुणाचल प्रदेश (शैक्षिक परिसर)	37.64	0
3.	छत्तीसगढ़ (शैक्षिक परिसर)	37.12	64.49
4	गुजरात (जीएसआईटीडीआईआईएस द्वारा संचालित शैक्षिक परिसरों की 43 इकाइयाँ) और अन्य शैक्षिक परिसर	1512.48	93.21
5	झारखंड (शैक्षिक परिसर)	0	12.04
6	मध्य प्रदेश (एमपीटीडब्ल्यूएआरईआईएस और अन्य शैक्षिक परिसरों द्वारा संचालित शैक्षणिक परिसरों की 13 परियोजनाएं)	325.21	608.69
7	महाराष्ट्र (शैक्षिक परिसर)	149.86	205.663
8	उड़ीसा (ओएमटीईएस और अन्य शैक्षिक परिसरों द्वारा संचालित 19 इकाइयाँ)	1102.18	999.18
9	राजस्थान (शैक्षिक परिसर)	25.13	168.17
10.	तेलंगाना (टीटीडब्ल्यूएआरईआईएस द्वारा संचालित शैक्षणिक परिसरों की 16 इकाइयाँ)	321.91	0
	<b>कुल</b>	<b>4628.76</b>	<b>2151.443</b>

(x) वर्ष 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन की योजना के तहत एसटीडीसीसी / ट्राईफेड को निर्मुक्त अनुदानों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु में)

क्र. स.	राज्य	2017-18	2018-19
<b>एसटीडीसीसी</b>			
1	छत्तीसगढ़	-	-
2	केरल	393.52	-
3	ओडिशा	-	-
4	राजस्थान	-	-
5	त्रिपुरा	201.48	-
6	पश्चिम बंगाल	-	-
7	मिजोरम	-	696.00
8	सिक्किम	-	219.00
	<b>ट्राईफेड</b>	<b>3900.00</b>	<b>4330.00</b>
	<b>कुल</b>	<b>4495.00</b>	<b>5245.00</b>



(xi) वर्ष 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018-19 (03.02.2019 तक) के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन तथा मूल्य श्रृंखला का विकास की योजना के तहत राज्य सरकारों / ट्राईफेड को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू में)

क्र.स.	राज्य/संगठन	2017-18	2018-19
<b>राज्य</b>			
1.	ओडिशा	-	-
2.	गुजरात	-	619.00
3.	महाराष्ट्र	-	-
4.	राजस्थान	-	-
5.	झारखंड	-	-
6.	मध्य प्रदेश	-	26.81
7.	छत्तीसगढ़	89.00	197.00
<b>8.</b>	<b>आंध्र प्रदेश</b>	<b>300.00</b>	<b>710.00</b>
9.	मणिपुर	11.00	90.00
10.	नागालैंड	19.00	66.00
11.	उत्तर प्रदेश	240.00	821.00
12.	केरल	-	418.00
13.	पश्चिम बंगाल	-	657.00
14.	कर्नाटक	-	125.00
15.	असम	-	155.00
<b>ट्राईफेड</b>		200.00	3147.00
<b>कुल</b>		<b>859.00</b>	<b>9686.00</b>

(xii) वर्ष 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018-19 (03.02.2019 तक) के दौरान राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों की योजना के तहत एनएसटीएफडीसी / सटीएफडीसी को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू में)

वर्ष	व्यय		
	एनएसटीएफडीसी	एसटीएफडीसी	कुल
2017-18	4980.00	520.00	5500.00
2018-19	5700.00	800.00	6500.00

(xiii) वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय अनुसंधान संस्थान को समर्थन की योजना के तहत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	940.42	81.60
2.	ए और एन	0.00	749.58
3.	अरुणाचल प्रदेश	647.99	253.01
4.	असम	183.65	198.75
5.	छत्तीसगढ़	168.73	504.49
6.	गुजरात	2438.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	106.80
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	97.00
9.	झारखंड	0.00	1211.83
10.	कर्नाटक	130.00	106.00
11.	केरल	745.65	401.25
12.	मध्य प्रदेश	732.51	309.91
13.	महाराष्ट्र	0.00	485.01
14.	मणिपुर	58.00	530.11
15.	मिजोरम	0.00	564.36
16.	नागालैण्ड	0.00	825.00
17.	ओडिशा	662.90	819.07
18.	राजस्थान	169.25	214.00
19.	सिक्किम	136.00	194.50
20.	तमिलनाडु	133.20	177.25
21.	तेलंगाना	339.50	454.00
22.	त्रिपुरा	198.75	316.14
23.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	215.45	380.15
	<b>कुल</b>	<b>7900.00</b>	<b>8979.81</b>

(xiv) ) वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव के तहत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू में)

योजना का नाम	2017-18	2018-19 (31.1.2019 तक)
जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा	402.00	1641.33

**टिप्पणः-**\* (i) जनजातीय क्षेत्रों में बालिका तथा बालक छात्रावसों की योजना, (ii) जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की योजना तथा (iii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना नामक तीन योजनाओं को वर्ष 2018-19 से बंद करने का निर्णय लिया गया है और इसे जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए )की योजना के तहत शामिल किया जाना है।

\*\*\*\*